न्यायालय जिला कलक्टर अलवर, जिला अलवर राज0

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/94/2024	2024/207	29.08.2024	10.12.2024

1. गौरांश पुत्र शंकर बैनीवाल पौत्र लक्ष्मीनारायण उम्र करीब 13 साल नाबालिग जरिये सरपरस्त माता गायत्री बैनीवाल पत्नी शंकर बैनीवाल जाति कलाल निवासी लक्ष्मणगढ तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर हाल निवासी ए–98, बुद्ध विहार, अलवर–राज०।

–प्रार्थी

बनाम

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व० रामसिंह जाति कलाल निवासी लक्ष्मणगढ हाल निवासी ए–98 बुद्ध विहार, अलवर ।
2. कपिल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति कलाल निवासी लक्ष्मणगढ तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर हाल निवासी ए–98 बुद्ध विहार, अलवर।
3. शंकर बैनीवाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति कलाल निवासी लक्ष्मणगढ तह० लक्ष्मणगढ जिला अलवर हाल निवासी ए–98, बुद्ध विहार, अलवर।
4. सकुन पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति कलाल हाल निवासी अपना घर शालीमार गेट न० 3, फ्लेट न0 1204, टावर न० 01, अलवर।
5. हीना पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति कलाल निवासी हाल अपना घर शालीमार गेट न० 03 फ्लेट न० 1204, टावर न० 01, अलवर।
6. पूनम पुत्री लक्ष्मीनारायण स्त्री प्रवीण कुमार जैसवाल निवासी हाल लालसोट दौसा, जिला दौसा।
7. उप पंजीयक लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला अलवर।

– अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना–पत्र मुंतकिल ::–

उपस्थितः–

01–श्री पवन सिंह चौहान –वकील प्रार्थी

02–श्री दीपक कुमार सिंह –वकील अप्रार्थी सं. 1

–:निर्णयः–

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र मुंतकिल प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के प्रकरण बउनवान गौरांश बनाम लक्ष्मीनारायण वगै0 को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने हेतु निवेदन किया गया, जिसमें विगत तारीख पेशी 27.08.2024 नियत थी। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से मुंतकिल प्रार्थना–पत्र के संबंध में बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई।

विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र मुन्तकिल में वर्णित तथ्यों पर लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि वादी/प्रार्थी द्वारा उक्त बअनुवान गौरांश बनाम लक्ष्मीनारायण वगैहरा का वाद पत्र तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर के समक्ष बाबत इश्तकरार हक, तकसीम व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया था। प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण सं. 1 व 6 लगातार गांव में ऐलानिया कह रहे हैं कि अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर के पीठासीन अधिकारी उनका मिलने वाला हैं। जो तहत न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण सं. 1 व 6 के पक्ष में ही निर्णित व डिग्री करेगा और प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण सं. 1 व 6 द्वारा चाहा गया अनुतोष पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया जावेगा। मिन वादी/प्रार्थी ने कई मर्तबा प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण सं. 1 व 6 को तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर के पीठासीन अधिकारी के चौम्बर में आते–जाते देखा हैं। तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर द्वारा प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण सं. 1 व 6 के दबाव व प्रभाव में आकर उक्त प्रकरण में नजदीक नजदीक तारीख पेशी दिनांक 06.08.2024, 13.08.

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

2024, 20.08.2024, 27.08.2024 नियत की जा रही हैं ताकि प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण सं. 1 व 6 को सदोष लाभ व वादी/प्रार्थी को सदोष हानि हो सके। जिससे तहत न्यायालय के पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर से न्याय की कोई उम्मीद व आशा नहीं रहीं हैं। इसलिए प्रार्थी तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर के समक्ष विचाराधीन मुकदमें को अलवर न्याय क्षेत्र के किसी भी राजस्व न्यायालय में मुन्तिकिल कराना चाहता है ताकि प्रतिवादी/प्रार्थी अपने हक हकूकों की रक्षा कर सके और न्याय निर्णय प्राप्त कर सके। जिस हेतु यह मुन्तिकिली प्रार्थना पत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही रहा है। उपखण्ड न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर में होने के कारण मुन्तिकिली प्रार्थना पत्र को सुनने का न्याय क्षेत्र श्रीमान को प्राप्त है। मिन प्रार्थी वादी ने उपरोक्त अनुवानी वाद पत्र न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ में बाबत इश्तकरारहक, तकसीम व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है। जिसमें प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 06 ने मिन वादी को ऐलानिया कहा है कि पीठासीन अधिकारी उनका मिलने वाला है और निर्णय व डिकी प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण अपने हक में करवायेगे। तहत न्यायालय का पीठासीन अधिकारी अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को लाभ पहुँचाने व उनके हक में निर्णय व डिकी जारी करने की नियत से बनजदीक तारीख पेशीयों दी जा रही है। मिन प्रार्थी वादी ने प्रतिवादीगण को पीठासीन अधिकारीके चौम्बर में आते जाते कई बार देखा है मिन प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से न्याय की कतई उम्मीद नही है। इसलिये उक्त प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि मिन प्रार्थी की लिखित बहस स्वीकार की जाकर उपरोक्त अनुवानी राजस्व वाद बअनुवान गौरांश बनाम लक्ष्मीनारायण, न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर राज० को अलवर जिला के किसी भी राजस्व न्यायालय में मुंतकिल किये जाने की कृपा करे।

विद्वान वकील अप्रार्थी सं0 1 ने जवाब एवं लिखित बहस पेश करते हुए निवेदन किया कि वादी/प्रार्थी ने न्यायालय उपखंड अधिकारी लक्ष्मणगढ में दावा इश्तकरारहक, तकसीम व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है तो वादी स्वयं अपने स्तर से साबित करें एवं प्रार्थी का उक्त जिमन में यह लिखना सरासर गलत है कि प्रतिवादीगण सं. 1 ला. 6 ने मिन वादी प्रार्थी को इस बात की ऐलानिया धमकी दी हो कि पीठासीन अधिकारी उनका मिलने वाला है जिससे अप्रार्थी प्रतिवादी उपरोक्त प्रकरण में निर्णय व डिकी अपने हक में करा लेंगे। वादी/प्रार्थी का यह कहना सरासर गलत है कि पीठासीन अधिकारी, लक्ष्मणगढ अप्रार्थी प्रतिवादी को बेजा लाभ पहुंचाने के लिये प्रकरण में छोटी छोटी तारीख पेशी लगा रहे हो। जबकि यहां यह लिखना अति आवश्यक है कि प्रकरण में माननीय न्यायालय पूर्ण संतुष्टि के साथ कार्य कर रही है, लेकिन वादी जबरदस्ती प्रतिवादी पर व माननीय न्यायालय पर झूठे आरोप, प्रत्यारोप मनगढंत तरीके से बेबुनियाद तरीके से लगा रहा है। जिससे हर सूरत में मौजूदा प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी/वादी का यह लिखना सरासर गलत है कि प्रतिवादीगण पीठासीन अधिकारी, लक्ष्मणगढ के चेम्बर में आते जाते रहे हो और वादी ने प्रतिवादीगण को चेम्बर में अंदर आते जाते देखा हो और वादी का यह लिखना भी सरासर गलत है कि पीठासीन अधिकारी लक्ष्मणगढ से उनको न्याय की कोई उम्मीद ना हो, जबकि सही व वास्तविक तथ्य इस प्रकार है कि माननीय न्यायालय प्रकरण में सुचारू रूप से कार्य कर रही है, लेकिन जबरदस्ती वादी लक्ष्मणगढ पीठासीन अधिकारी पर अपना दबाव बनाना चाहता है और दबाव बनाने के लिये यह सारे झूठे, आरोप, प्रत्यारोप लगा रहा है और इसी कारण से मौजूदा प्रकरण मे वादी द्वारा ट्रांसफर एप्लीकेशन माननीय न्यायालय के यहां प्रस्तुत की है। जो उनकी बदनियति का परिचायक है। इसलिये हर सूरत में मौजूदा प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। वादी ने मौजूदा प्रार्थना पत्र में यह दर्ज नहीं किया कि लिखित बहस कौनसे प्रोवीजन में प्रस्तुत की है। जबकि अप्रार्थी प्रतिवादी माननीय न्यायालय को यह प्रार्थना करता है कि लिखित बहस आदेश 18 नियम 3 (1) (क) के अंतर्गत पेश की जाती है। वादी प्रार्थी द्वारा मौजूदा प्रार्थना पत्र लक्ष्मणगढ पीठासीन अधिकारी पर दबाव बनाने के लिये पेश की गई है एवं उन पर व प्रतिवादी पर मनगढंत झूठे, बेबुनियाद भ्रामक असत्य तथ्य दर्ज

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

किये गये हैं। जिससे भी मौजूदा प्रार्थना पत्र हर सूरत में मय हर्जा खर्चा सहित खारिज किया जाना न्याय संगत है। अतः जवाब लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि मौजूदा प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने की कृपा करे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ताओं की लिखित बहस पर चिन्तन–मनन किया। उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ द्वारा अपने जवाब में टिप्पणी पेश कर अवगत कराया है कि बिन्दु सं0 01 सही है, स्वीकार है। बिन्दु सं0 02 अस्वीकार है, प्रार्थी स्वयं सिद्ध करें। बिन्दु सं0 03 अस्वीकार है तथा मनगढंत एवं निराधार है। बिन्दु सं0 04 अस्वीकार है, प्रार्थी स्वयं सिद्ध करें। बिन्दु सं0 05 स्वीकार है, श्रीमान के क्षेत्राधिकार में है। बिन्दु सं0 06 स्वीकार है, कानूनी है। बिन्दु सं0 07 अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा आरोपित समस्त बिन्दु गलत एवं निराधार हैं, फिर भी श्रीमान उक्त वाद को इस न्यायालय से किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल के आदेश फरमावे तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है। प्रथम दृष्ट्या अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा मुंतकिल प्रा0पत्र के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति के शपथ–पत्र पेश नहीं किये गये हैं और ना ही प्रार्थना–पत्र के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये गये हैं। प्रार्थीगण का प्रा0पत्र मुंतकिल खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र मुन्तकिल खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(अर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
राजस्थान

जिला कलक्टर अलवर (राज0)